वन मित्र योजना के क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण जानकारी व दिशा निर्देश

1. वन मित्र योजना के तहत पंजीकृत सभी आवेदकों को 13.07.2024 को वृक्षारोपण हेतु गड्ढे खोदने के लिए एसएमएस द्वारा सूचनाएं भेजी गई हैं। कार्य प्रारम्भ करने के लिए आवेदकों को गैर-वन भूमि की पहचान करके क्षमतानुसार 14.07.2024 से 21.07.2024 तक न्यूनतम 10 से 1000 गड्ढे आठ-आठ मीटर की दूरी पर खोदने हैं। गड्ढे खोदने उपरान्त उनकी जियो टैगिंग और गड्ढों की तस्वीरें वन मित्र ऐप पर दिनांक 21.07.2024 तक अपलोड करनी हैं। यदि वृक्षारोपण हेतु गड्ढा खोदने के लिए चयनित भूमि वन मित्र के स्वामित्व में नहीं है तो वह मालिक/अधिकृत व्यक्ति से लिखित में सहमति प्राप्त करेगा। सहमति पत्र का प्रारूप वन मित्र पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।

2. वन विभाग 22.07.2024 से 25.07.2024 तक वन मित्र पोर्टल पर जियो-टैग किए गए गड्ढों की जानकारी का सत्यापन करेगा। पौधे प्राप्ति के लिए वन पौधशालाओं की सूचना वन मित्र पोर्टल पर उपलब्ध होगी।

3. सभी पंजीकृत आवेदक जिन्होंने गड्ढे खोदे हैं और पोर्टल पर आवश्यक जानकारी अपलोड की है, वे 26.07.2024 से 03.08.2024 तक निकटतम वन विभाग की नर्सरी से परिवार पहचान पत्र दिखाकर पौधे प्राप्त कर सकते हैं।

4. वन मित्रों द्वारा वृक्षारोपण 27.07.2024 से 31.08.2024 तक किया जाएगा। इन पौधों की जियो-टैगिंग निर्धारित तिथि पर किया जाएगा जिसके बारे में सभी वन मित्रों को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

वन मित्र योजना के तहत प्रोत्साहन निम्नलिखित रूप में प्रदान किए जाएंगे:

- गड्ढा खोदने और वन मित्र पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने पर, प्रति गड्ढा 20 रुपये का प्रोत्साहन उनके खातों में जमा किया जाएगा।
- वृक्षारोपण पूरा करने और पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने के बाद, प्रति पौधा 30 रुपये का प्रोत्साहन उनके खातों में जमा किया जाएगा।
- वृक्षारोपण की मासिक देखरेख करने और पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने के बाद, प्रति पौधा 10 रुपये का प्रोत्साहन उनके खातों में जमा किया जाएगा ।